न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 610/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. प्रेमसिंह मुतवन्ना श्री किरतसिंह जाति राजपूत, निवासी गाांव जेरिया तहसील लोहावट जिला फलोदी		1. हरिसिंह पुत्र श्री बुलीदानसिंह 2. भोजराज सिंह पुत्र बुलीदानसिंह 3. खींवसिंह पुत्र बुलीदानसिंह 4. छीपसिंह पुत्र बुलीदानसिंह जातियान राजपूत निवासी उनावडा, तहसील बापीणी 5. चुनीकंवर पुत्र किरतसिंह जाति राजपूत निवासी आउ तहसील आउ 6. जैतसिंह पुत्र राणीदानसिंह 7. उतमसिंह पुत्र राणीदानसिंह 8. स्वरूपकंवर पुत्री राणीदानसिंह जाति राजपूत निवासीगण निम्बों का तालाब, तहसील लोहावट जिला फलोदी 9. ग्राम पंचायत पल्ली, जरिये सपपंच तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2023 जो उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा राजस्व अपील संख्या 06/2022 अनवान हरिसिंह वगैराह बनाम प्रेमसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री सिद्वार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
2. श्री भानू प्रताप अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या–3 की ओर से
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद नोटीस तामील के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 26.12.2024

अपीलाण्ट्स ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा राजस्व अपील संख्या 06/2022 अनवान हरिसिंह बनाम प्रेमसिंह में पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 08.12.2023 को प्रस्तुत की है।

अति. सम्भागीय आयुक्त

अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ में प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत् नामा0 संख्या 36 ग्राम पंचायत पल्ली को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि ग्राम जेरिया तहसील ओसियां के खसरा नम्बर 93 रकबा 175 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 90 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 91 रकबा 8 बिस्वा कुल खसरा 04 रकबा 177 बीघा 7 बिस्वा भूमि श्री किरत सिंह, अमान सिंह, दलपत सिंह पि0 आईदान सिंह कौम राजपूत बहिस्सा बराबर खातेदारी की कृषि भूमि थी। किरत सिंह पुत्र आईदान सिंह के फौत होने पर फौतेदगी का नामा0 संख्या 36 ग्राम पंचायत, पल्ली के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेमसिंह पुत्र अमान सिंह के नाम बिना किसी कानूनी आधार पर स्वीकृत कर दिया गया जबकि स्व. किरत सिंह के 1/3 हिस्से की उत्तराधिकारी उनकी पुत्रियां कमश अणद कंवर, धापू कंवर व चूनी कंवर के नाम भी दर्ज किया जाना था। उक्त प्रथम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया कि रेस्पो संख्या 1 प्रेमसिंह श्री अमानसिंह का पुत्र है, किरतसिंह का आईन्दा पुत्र नही है। अमान सिंह के देहान्त के पश्चात रेस्पो0 संख्या 01 का नाम अमानसिंह के खिलाफत में दर्ज किया गया जो जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 से साबित है। किरतसिंह के केवल मात्र पुत्रीया अणदकंवर, धापुकंवर, चुन्नीकंवर हैं इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के तहत किरतसिंह के फोतेदगी का नामान्तकरण उनकी पुत्रीयों के नाम भरा जाना था लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 प्रेमसिंह के नाम ही दर्ज किया गया है। अतः ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 36 राजस्व ग्राम जेरीया को खारीज किया जाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश दिया जाता है कि अपीलाधीन भूमि का राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरकरण संख्या 36 से पूर्व की स्थिति में बहाल करते हुए किरत सिंह पुत्र आईदान सिंह का 1/3 हिस्सा की भूमि में अपीलान्टस संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 05 का 1/3 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अनुसार किरतसिंह पुत्र आईदान के फोतेदगी में दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है।

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का कोई नोटिस नही दिया। पूर्व में प्रस्तुत द्वितीय अपील में मामला रिमाण्ड होने के पश्चात् एवं पत्रावली स्थानान्तरित होने के पश्चात् अपीलार्थी को सुनवाई का कोई नोटिस मिला ही नही। अधिनस्थ न्यायालय ने आज्ञासूची में यह लिख दिया की

क्षेत्रीय आयुक्त

संख्या 1 का नोटिस पूर्व में तामील हो चुका है जबकि पत्रावली रिमाण्ड होने के पश्चात लम्बे समय बाद पेशी पर ली गई एवं अधीनस्थ न्यायालय में अकस्मात ही बिना नोटिस दिये ही अपील का फैसला कर दिया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी को खातेदार स्व. किरतसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही गोद लिया था तथा सन 1973 में गोदनामा निष्पादित किया गया एवं उसी के आधार पर श्री किरतसिंह के फौत होने पर उनको श्री किरतसिंह का उत्तराधिकारी मानते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा अपीलार्थी के नाम विधिवत नामान्तरकरण स्वीकार किया गया था जिसके बारे में किरतसिंह की सभी जायन्दा पुत्रीयों को बखुबी मालूम था। अपीलार्थी सन 1973 से ही उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है तथा बैंक से केसीसी भी करवाया हुआ है जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्टस को शुरू से ही थी परतु उन्होने तमाम तथ्यों को छुपाकर वर्षो बाद प्रथम अपील की है जो जाहिरा तौर पर मियाद बाहर थी एवं इसी बिनाय पर खारिज की जानी चाहिए, थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को सरसरी तोर पर निर्णित करते हुए मनमाना फैसला कर दिया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा सीधे ही रेस्पोडेन्टस के नाम नामा0 करने का आदेश दे दिया है जबकि विरासत सम्बन्धी विवाद होने पर सभी पक्षों को व वारिसान का नोटिस दिया जाना जरूरी था जो तहसीलदार के द्वारा ही किया जा सकता है। द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय करते समय जो निर्देश प्रथम अपीलीय न्यायालय को दिये गये थे उनकी कोई पालना नहीं की गई और न ही सुनवाई का कोई नोटिस दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व अपील पत्रावली का ध्यानपूर्वक देखा तक नहीं और जल्दबाजी करते हुए शीर्षक में राणीदानसिंह के वारिसों को किरतसिंह का वारिस दर्शा दिया गया। विवादित भूमि बाबत निर्णित वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य वर्ष 2017 से लम्बित है, जिसको भी अधीनस्थ न्यायालय से छुपाया गया है। अपीलार्थी का उक्त भूमि पर अपने परिवार सहित निवास है तथा नलकूल व विघुत कनेक्शन भी उसके नाम से हो रखा है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपीलान्ट की द्वितीय अपील स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2023 को निरस्त किया जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 36 यथावत बहाल किया जावे।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से विधि अनुरूप एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुरूप पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। ग्राम पंचायत पल्ली के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 36 श्री किरतसिंह के विधिक वारिसानों की जांच किये बिना ही त्रृटिपूर्ण रूप से स्वीकृत किया गया था, जो प्रारम्भ से ही विधिविरूद्ध है। ऐसे में नामा0 को चुनौती दिये जाने में मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। स्व. किरत सिंह ने अपने जीवनकाल में कभी भी अपीलान्ट को गोद नही लिया था, ना ही अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई गोदनामा प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 जन्म से ही किरतसिंह की विधिक उत्तराधिकारी होने से श्री किरतसिंह की खातेदारी भूमि में अपना हक–हिस्सा रखती है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्व किरतसिंह की पुत्रियॉ होने व पुत्रियों के पुत्र होने के कारण प्रथम श्रेणी के वारिसान है। इस कारण से अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि अनुकूल होने से यथावत रखे जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अनुसार मृतक खातेदार किरतसिंह के फोतेदगी का नामान्तकरण में उनकी पुत्रीयों के नाम दर्ज नहीं किये जाने तथा अपीलान्ट प्रेमसिंह के नाम ही दर्ज किया जाने को विधि विरूद्ध माना तथा ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत नामा0 संख्या 36 राजस्व ग्राम जेरीया को खारीज किया जाकर तहसीलदार लोहावट को अपीलाधीन भूमि का राजस्व रिकोर्ड में नामान्तरकरण संख्या 36 से पूर्व की स्थिति में बहाल करते हुए किरत सिंह पुत्र आईदान सिंह का 1/3 हिस्सा की भूमि में अपीलान्टस संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 05 का 1/3 हिस्सा, रेस्पो0 संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अनुसार किरतसिंह पुत्र आईदान के फोतेदगी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया है वो उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि ग्राम पंचायत पल्ली द्वारा स्वीकृत किये गये अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 36 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में दिनांक 11.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट रा.उ.प्रा.वि पल्ली फान्टा में मियाद बिन्दु पर खारीज की गई। जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्व अपील संख्या 155/2017 अनवान

आयुक्त

हरिसिंह बनाम प्रेमसिंह वगैरह प्रस्तुत की गई थी जिसको स्वीकार करते हुए दिनांक 21.06.2019 को किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई थी कि अपीलान्टस और रेस्पोडेन्टस को विधिवत नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रथम अपील को दिनांक 17.7.2023 को स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, पल्ली के नामा0 संख्या 36 को खारीज किया जाकर तहसीलदार, लोहावट को आदेशित किया गया कि अपीलाधीन भूमि के राजस्व रिकोर्ड की नामान्तरकरण संख्या 36 से पूर्व की स्थिति में बहाल कर श्री किरत सिंह पुत्र आईदान सिंह का 1/3 हिस्सा की भूमि में प्रथम अपील के अपीलान्टस संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा, अपीलान्ट संख्या 05 का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेण्ड संख्या 2 का 1/3 हिस्सा अनुसार किरतसिंह पुत्र आईदान के फोतेदगी में दर्ज किया जावे।

अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में मुख्यतः यह आपत्ति की है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के सम्बन्ध में अपीलार्थी को न तो कोई नोटिस जारी कर विधिवत तामील करवाया और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया गया और फैसला कर दिया गया जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 31.03.2023 व 19.4.2023 में तामिल शुदा नोटिस शामिल पत्रावली व शेष रेस्पोडेन्टस् संख्या 1 व 3 को न्यायालय समय में तीन बार आवाज के जरिये ताईद किया जाने बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है, अंकित किया हुआ है।

इसके अलावा इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में राजस्व अपील संख्या 155/2017 अनवान की उक्त पत्रावली में पारित निर्णय दिनांक 21.06.2019 में अपीलान्ट के अधिवक्ता उपस्थित रहे थे जिन्हें अपील प्रकरण को रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिप्रेषित किये की जानकारी रही है ऐसे में यह कहा जाना कि उन्हें सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नहीं किया गया है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होना चाहिये था। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनुपस्थित रहे पक्षकारान के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वो अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स अस्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.07.2023 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26 दिसम्बर 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर